

मुकदमों का विवरण

एसएमटी। डॉ. विजय अग्रवाल (उनके कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से मृत)

वी.

अपने आयोग के माध्यम से दिल्ली का नगरपालिका निगम

(सिविल अपील सं.5409-5410 2023 का) 24 अगस्त, 2023

[बी. वी. नागरत्ना और

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय को निष्पादन न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने में न्यायसंगत ठहराया गया था, जिसमें कहा गया था कि अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री निर्णय देनदार के खिलाफ निष्पादन योग्य नहीं है, केवल इसलिए कि डिक्री धारक ने एक अतिक्रमणकारी के हाथों कब्जा खो दिया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908-आदेश XXI rr 97 से 101-निर्णय और आदेशों का निष्पादन-निष्पादन न्यायालय एक निष्पादन डिक्री को इस आधार पर लागू करता है कि डिक्री धारक ने एक अतिक्रमणकारी के हाथों अपना अधिकार खो दिया है-इसकी शुद्धता:**

आयोजित किया गया:निष्पादन न्यायालय डिक्री को केवल इस आधार पर निष्पादन याचिका को खारिज नहीं कर सकता था कि डिक्री-धारक ने किसी तीसरे पक्ष/अतिक्रमणकारी को कब्जा खो दिया है-यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अचल संपत्ति के कब्जे में प्रत्येक निर्णय-देनदार डिक्री पारित होने तक, डिक्री-धारक के अधिकार और हक को विफल करने के लिए किसी तीसरे पक्ष को कब्जा सौंप देगा और यह अनिश्चित रूप से जारी रहेगा और अचल संपत्ति के लिए कोई डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है-यह निष्पादन न्यायालय का कर्तव्य था कि वह सूट अनुसूची संपत्ति के संदर्भ में डिक्री-धारक को सूट भूमि की भौतिक डिलीवरी को प्रभावी बनाने के लिए कब्जे का वारंट जारी करे और यदि किसी भी अजनबी द्वारा डिक्री के लिए कोई प्रतिरोध किया गया था, तो वही होगा।97 आदेश XXI के 101 तक-तथ्यों पर,

602 603

एसएमटी। वेद कुमारी (मृत टीएचआर)। उनके कानूनी प्रतिनिधि) डॉ. विजय अग्रवाल बनाम एम. सी. डी. टी. एच. आर. आयोग की 604 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

किसी भी कथित अजनबी/अतिक्रमणकारी द्वारा डिक्री का कोई विरोध नहीं किया गया-इसके अभाव में, निष्पादन न्यायालय के पास डिक्री धारक के कहने पर आदेश XXI, rr 97 से

101 को लागू करने का कोई अवसर नहीं था-निष्पादन न्यायालय यह मानते हुए निष्पादन कार्यवाही को बंद नहीं कर सकता था कि डिक्री अप्रवर्तनीय है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया-निष्पादन न्यायालय को डिक्री धारक को भौतिक रूप से खाली कब्जे को वितरित करके डिक्री को निष्पादित करने का निर्देश जारी करना।[पैरा 10,15 और 16]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

ब्रह्मदेव चौधरी बनाम ऋषिकेश प्रसाद जैसवाल और अन्न। (1997) 3

एससीसी 694:[1997] 1 एससीआर 463; भंवर लाल बनाम सत्यनारायण (1995) 1 एससीसी

6 :[1994] 4 पूरक।एससीआर 208; श्रीनाथ और अन्न. वी.राजेश और ओआरएस। (1998) 4 एससीसी 543:[1998] 2 एससीआर 709; समीर सिंह और एन. आर. वी.अब्दुल रब और ओरस।

(2015) 1 एससीसी 379:[2014] 10 एससीआर 1004; जिनी धनराजगीर और अन्न बनामशिवू मैथ्यू और अन्न। (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 643-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 5409-5410।

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2012 के सी. आर. पी. संख्या 152 में दिनांकित <आई. डी. 2 और 2016 के आर. पी. संख्या 487 में दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सेंथिल जगदीशन, अदित एस. पुजारी, सुश्री मैत्रेय सुब्रमण्यम, सुश्री मंटिका वोहरा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।प्रवीण स्वरूप, देवेश मौर्य, सुश्री पायल स्वरूप, चंदर शेखर मल्होत्रा, विवेक वर्मा, हरि सहतेश्वर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, जे।

अनुमति दी गई

2. ये अपीलें क्रमशः 2012 के सी. आर. पी. सं. 152 और 2016 के आर. पी. सं. 487 में पारित किए गए 'आई. डी. 3' और 'आई. डी. 2' दिनांकित निर्णय और आदेशों से उत्पन्न होती हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने 'आई. डी. 1' दिनांकित निष्पादन न्यायालय के आदेश को लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री निर्णय-देनदार के खिलाफ निष्पादन योग्य नहीं है।

3. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि अपीलार्थी (चूंकि मृतक ने एल. आर. एस. के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया है) जो मूल वादी है, ने 400 वर्ग मीटर भूमि पट्टे पर दी है। yds। नगर निगम दिल्ली की सीमा के भीतर खुरेजी खास, अबनी राधेपुरी, इलाखा शाहदरा, दिल्ली (इसके बाद 'सूट लैंड' के रूप में संदर्भित) गांव में स्थित खसरा संख्या 4/39/1 में से, प्रत्यर्थी-निगम (मूल प्रतिवादी) को 10 साल की अवधि के लिए पट्टे के विलेख के माध्यम से, शुरू में रु। 30/-, जो दोनों पक्षों की सहमति से नवीनीकरण योग्य था, हालांकि पट्टे को 06.01.1983 पर समाप्ति के बाद नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी ने प्रतिवादी-निगम को दिनांक 02.12.1987 पर एक नोटिस दिया, जिसे प्रतिवादी-निगम को 06.01.1988 पर या उससे पहले सूट भूमि के शांतिपूर्ण खाली कब्जे को सौंपने के लिए कहा गया था। प्रत्यर्थी-निगम ने अपीलार्थी की मांग की ओर रुख नहीं किया।

3.1 अपीलार्थी/वादी ने उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, दिल्ली के समक्ष प्रत्यर्थी-निगम/प्रतिवादी के खिलाफ मुक्रदमा भूमि के संबंध में कब्जे की वसूली के लिए 1988 के मुक्रदमा संख्या 205 का नेतृत्व किया, जिसे अपीलार्थी/वादी के पक्ष में और प्रत्यर्थी-निगम/प्रतिवादी के खिलाफ 23.03.1990 पर कब्जे के लिए घोषित किया गया था।

3.2 इसके बाद, अपीलार्थी ने निर्णय-देनदार यानी प्रतिवादी-निगम के खिलाफ कब्जे के लिए डिक्री निष्पादित करने के लिए 1991 का निष्पादन मामला संख्या 7 वाली निष्पादन कार्यवाही का नेतृत्व किया। 03.12.1993 पर, अपीलार्थी/डिक्री-धारक ने प्रत्यर्थी-निगम के खिलाफ निष्पादन न्यायालय से कब्जे की डिलीवरी के लिए वारंट प्राप्त किए। जब अपीलार्थी/डिक्री-धारक पुलिस बल के साथ 605 को निष्पादित करने के लिए मौके पर गया

एसएमटी। वेद कुमारी (मृत टीएचआर)। उनके कानूनी प्रतिनिधि) डॉ. विजय अग्रवाल बनाम एम. सी. डी. टी. एच. आर. यह आयोग है

[प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 606

जिन वारंटों का विरोध किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यर्थी-निगम के कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा अपीलार्थी को डराने-धमकाने सहित इस तरह के उग्र व्यवहार के कारण, कब्जा देने के वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सका।

3.3 इस स्तर पर, प्रत्यर्थी-निगम ने पहले जारी किए गए कब्जे की डिलीवरी के लिए वारंट के संचालन पर रोक लगाने के लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। निष्पादन न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जर्जर भूमि पर स्कूल की इमारत

को ध्वस्त करने से लगभग 400 छात्रों का करियर प्रभावित होगा, निष्पादन की कार्यवाही पर 15.04.1994 तक रोक लगा दी।

3.4 प्रत्यर्थी-निगम ने इस आधार पर आपत्तियों का नेतृत्व किया कि जिस स्थान पर स्कूल बनाया गया है, वह 1700 वर्ग गज का है और विवादित भूमि की पहचान नहीं की जा सकती है। उक्त आपत्तियों को निष्पादन न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.1994 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

3.5 आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने नए कब्जे के वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन का नेतृत्व किया और उसी दिन प्रत्यर्थी-निगम ने भी इस आधार पर निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया कि प्रत्यर्थी-निगम ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की थी। एक बाद के आवेदन दिनांक 01.03.1996 द्वारा प्रतिवादी-निगम ने कहा कि उसने रु. 1,60,000-भूमि अधिग्रहण आयुक्त, दिल्ली के साथ।

3.6 निष्पादन न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी-निगम के उक्त आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी-निगम ने आठ वर्षों की अवधि में अविकसित भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया था और अविकसित भूमि का अधिग्रहण अपीलार्थी को सौंपे जाने के बाद भी हो सकता है। 3.7 प्रत्यर्थी-निगम द्वारा अपीलार्थी को भूमि का कब्जा सौंपने से इनकार करने के कारण, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-निगम के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका का नेतृत्व किया, जिसे 1999 के सीसी नंबर 126 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें निचली अदालत के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। अवमानना याचिका का निपटान दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से इस निर्देश के साथ किया गया था कि अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए अपीलार्थी के लिए कानून के तहत ऐसे कदम उठाने की अनुमति होगी जो अपीलार्थी के लिए अनुज्ञेय हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

3.8 अवमानना याचिका के निपटारे पर, अपीलार्थी को एक बार फिर अवैध भूमि पर कब्जा करने के लिए वारंट जारी किए गए। निष्पादन न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, प्रत्यर्थी-निगम ने वाद भूमि के संबंध में 13.04.2001 और 24.07.2002 दिनांकित सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की और उक्त संपत्ति के अधिग्रहण का मुद्दा उठाया।

3.9 निष्पादन न्यायालय ने सीमांकन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के नेतृत्व में निष्पादन याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विचाराधीन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 'मुकदमे में पक्षकार' नहीं थे और इसलिए, डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सका।

3.10 निष्पादन याचिका खारिज किए जाने से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जबकि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी ने निर्दिष्ट सी निर्देशों के बावजूद, अतिक्रमणकर्ता (ओं) की पहचान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

3.11 अपीलार्थी ने असंतुष्ट होने के कारण लिंग समीक्षा याचिका द्वारा दिनांकित 07.04.2016 के निर्णय और आदेश की समीक्षा की मांग की, जिसमें पुनरीक्षण याचिका के समान भाग्य देखा गया।

इसलिए अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाओं के माध्यम से ये अपीलें। 4. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल और श्री गोपाल शंकरनारायणन और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण स्वरूप को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

5. अपीलार्थी/डिक्री-धारक के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी-निगम ने एक पट्टा विलेख निष्पादित किया और एक किरायेदार के रूप में वाद भूमि के कब्जे में रहा, जो तथ्य मुकदमे में अपीलार्थी/डिक्री-धारक के पक्ष में साबित किया गया है और निष्पादन कार्यवाही में भी, विभिन्न चरणों में, प्रत्यर्थी-निगम के लिए यह तर्क देना पूरी तरह से अनुचित है कि वह वाद भूमि के कब्जे में नहीं है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि वितरण का विरोध करते हुए निर्णय-देनदार ने स्पष्ट रूप से कहा कि कब्जे की डिलीवरी को प्रभावी बनाने के लिए स्कूल की इमारत को ध्वस्त करने से लगभग 400 छात्र प्रभावित होंगे और यह कि यह सूट भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कदम उठा रहा है और यह तथ्य स्वयं प्रदर्शित करेगा कि निर्णय-देनदार सूट भूमि के कब्जे में है। भले ही मुकदमा भूमि बाद में 607 हो

एसएमटी। वेद कुमारी (मृत टीएचआर)। उनके कानूनी प्रतिनिधि) डॉ. विजय अग्रवाल बनाम एम. सी. डी. टी. एच. आर. यह आयोग है

[प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 608

किसी तीसरे पक्ष द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर, निर्णय-ऋणदाता डिक्री को संतुष्ट करने के दायित्व से बच नहीं सकता है।

इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि वाद भूमि पर कोई भी अतिक्रमण, जब वह निर्णय-ऋणदाता के कब्जे में थी, निष्पादन कार्यवाही को रद्द नहीं करेगा और एक स्थानीय प्राधिकरण के रूप में, प्रत्यर्थी-निगम का कर्तव्य है कि वह अतिक्रमणकर्ता की पहचान करे, यदि कोई हो, ताकि निष्पादन न्यायालय द्वारा डिक्री-धारक को भौतिक रूप से खाली कब्जा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे तर्क देंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) का आदेश XXI सभी विवादों को हल करने के लिए एक पूर्ण संहिता है, जिसमें डिक्री के लिए अजनबियों के खिलाफ भी शामिल है। इसलिए, निष्पादन अदालत द्वारा निष्पादन की कार्यवाही को हटाया नहीं जा सकता था।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-निगम के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि वाद भूमि प्रत्यर्थी-निगम के कब्जे में नहीं है, बल्कि यह अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, जिनकी पहचान डिक्री धारक द्वारा की जानी चाहिए थी। यह प्रत्यर्थी-निगम का विशिष्ट मामला है कि दिनांक 1 की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार भूमि की पहचान की गई है और सूट भूमि उत्तर में, स्कूल की चारदीवारी से 36 'दूर/बाहर स्थित पाई गई है, जहां कुछ घरों का निर्माण अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है और वे प्रत्यर्थी-निगम के कब्जे में नहीं हैं और इस कारण से अधिग्रहण की कार्यवाही को हटा दिया गया था।

विवादित आदेश का समर्थन करते हुए, अंत में लिखित प्रस्तुतियों के पैरा 9 में एक वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि निष्पादन न्यायालय के पास सी. पी. सी. के आदेश XXI नियम 97 से 101 के तहत निष्पादन की शक्तियां हैं, लेकिन यदि कानून में अनुमति है, तो वह विवादित भूमि के कब्जे वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, या डिक्री धारक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर कर सकता है।

चर्चा

7. दिनांक 23.03.1990 के फैसले और डिक्री में, ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिवादी-निगम पट्टेदार है और चूंकि पट्टा पहले ही 10 साल की पट्टा अवधि की समाप्ति पर निर्धारित किया जा चुका है, इसलिए प्रतिवादी-निगम/प्रतिवादी भौतिक रूप से खाली करने के लिए बाध्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

वाद भूमि का कब्जा और किराया का भुगतान करने के लिए और यह कि अपीलार्थी/वादी वाद भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी-निगम/प्रतिवादी द्वारा खाली कब्जे के निष्कासन और वितरण की डिक्री का हकदार है जैसा कि प्रदर्शनी पी 4 में साइट योजना में लाल दिखाया गया है। प्रतिवादी-निगम/प्रतिवादी को निर्माण को हटाने के बाद वाद भूमि का कब्जा सौंपने का भी निर्देश दिया गया था। इस आदेश ने वास्तविकता प्राप्त कर ली है।

8. निष्पादन के दौरान, प्रत्यर्थी-निगम का यह रुख था कि विभिन्न चरणों में, सूट की भूमि पर निर्मित स्कूल भवन में पढ़ने वाले छात्रों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा, इसलिए, कब्जा देने के बजाय, यह जर्जर भूमि का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है, जो 1994 से मार्च, 1999

तक जारी रही, जिस समय पर प्रत्यर्थी-निगम के कब्जे के वारंट को निष्पादित नहीं करने के आवेदन को निष्पादन न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसने लगभग आठ वर्षों से जर्जर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कोई गंभीर प्रभाव नहीं डाला है।

9. आश्चर्य की बात है कि पहली बार, 18.09.2009 पर, प्रतिवादी-निगम ने निष्पादन न्यायालय को सूचित किया कि वाद भूमि उसके कब्जे में नहीं है और उस पर अतिक्रमण किया गया है। निर्णय/देनदार की इस जानकारी पर, निष्पादन न्यायालय ने उसे यह खुलासा करने का निर्देश दिया कि क्या भूमि, जिस पर प्रतिवादी-निगम का अतिक्रमण किया गया है, सूट भूमि है और यदि ऐसा है, तो यह खुलासा करने के लिए कि प्रतिवादी-निगम द्वारा सूट भूमि कब खाली की गई थी। फिर भी, आई. डी. 1 पर, निष्पादन न्यायालय ने कहा कि आज तक प्रत्यर्थी-निगम ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि वर्तमान में मुकदमा किसके पास है और प्रत्यर्थी-निगम के उपायुक्त को इस प्रश्न का उत्तर एफ़. आई. डी. आई. टी. के माध्यम से देने का निर्देश दिया गया था। जब एफिडेविट का नेतृत्व किया गया था, तो निष्पादन न्यायालय ने कहा कि प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दिया गया है। निष्पादन न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश में वाद की शुरुआत में प्रत्यर्थी-निगम के रुख को नोट किया कि वाद भूमि उसके कब्जे में है, लेकिन निष्पादन कार्यवाही में, प्रत्यर्थी-निगम ने पूरी तरह से एक अलग रुख अपनाया है कि स्कूल भूमि के एक अलग हिस्से पर चल रहा है। निष्पादन न्यायालय ने आगे संदेह व्यक्त किया कि कैसे, उस स्तर पर, प्रतिवादी-निगम पूरी तरह से एक अलग रुख अपना सकता है और कहा कि यह इस बात का खुलासा करने के लिए उत्तरदायी है कि मुकदमे की भूमि का कब्जा उससे किसी तीसरे पक्ष को कैसे चला गया।

एसएमटी। वेद कुमारी (मृत टीएचआर। उनके कानूनी प्रतिनिधि) डॉ. विजय अग्रवाल बनाम एम. सी. डी. टी. एच. आर. यह आयोग है

609

[प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 610

10. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निष्पादन कार्यवाही के दौरान, किसी भी कथित अजनबी/अतिक्रमणकारी द्वारा डिक्री का कोई विरोध नहीं किया गया था। इस तरह के प्रतिरोध के अभाव में, निष्पादन न्यायालय के पास डिक्री धारक के कहने पर या अन्यथा आदेश XXI, नियम 97 से 101 को लागू करने का कोई अवसर नहीं था। जब तक इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता, तब तक निष्पादन न्यायालय यह कहते हुए निष्पादन की कार्यवाही को बंद नहीं कर सकता था कि डिक्री अप्रवर्तनीय है।

11. "ब्रह्मदेव चौधरी बनाम ऋषिकेश प्रसाद जैसवाल और अन्न" में।

(1997) 3 एस. सी. सी. 694, इस न्यायालय ने कहा है कि सी. पी. सी. का आदेश XXI एक डिक्री-धारक द्वारा प्राप्त कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन से संबंधित सभी विवादों को हल करने के लिए एक पूर्ण संहिता निर्धारित करता है और जिसके उक्त डिक्री को निष्पादित करने के प्रयास खराब मौसम के साथ मिलते हैं। इसके पहले का उल्लेख करते हुए

"भंवर लाल बनाम सत्यनारायण" (1995) 1 एस. सी. सी. के मामले में निर्णय

6 इस न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला: '11. अतः, उपरोक्त तथ्य की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हमारे द्वारा पहले चर्चा की गई वैधानिक योजना के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि सशस्त्र बल की सहायता से कब्जे की डिलीवरी के लिए वारंट जारी करने के लिए अनुरोध करने वाला प्रत्यर्थी 1 डिक्री-धारक का आवेदन, अपीलार्थी और अन्य लोगों द्वारा आदेश 21, नियम 97 सी. पी. सी. के तहत दिए गए अवरोध को हटाने के लिए सार में था और आदेश 21, नियम 97, आदेश 21, नियम 101 और आदेश 21, नियम 98 के साथ पठित उप-नियम (2) द्वारा आदेशित किया जाना था। इस संबंध में न्यायालय को आदेश 21, नियम 105 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन करना था जो उस निष्पादन न्यायालय को आदेश देता है जिसके लिए आदेश के किसी भी पूर्वगामी नियम के तहत आवेदन किया जाता है ताकि आवेदन की सुनवाई की तारीख निर्धारित की जा सके। चूंकि निष्पादन अदालत ने बाधा और निष्पादन की कार्यवाही में बाधा डालने वाले अपीलार्थी के दावे पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से कानून द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रही थी। उच्च न्यायालय ने भी पुनरीक्षण में यह विचार रखते हुए यही त्रुटि की कि ऐसा आवेदन विचारणीय नहीं था। यह निश्चित रूप से सच है जैसा कि डिक्री-धारक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अपील के तहत फैसले के पैरा 4 में उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि खसरा संख्या के बारे में कुछ विसंगति थी। लेकिन ये गुजरती टिप्पणियाँ हैं। इसके विपरीत निर्णय के बाद के अनुच्छेदों में उच्च

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि आक्षेपकर्ता द्वारा इस तरह का आवेदन विचारणीय नहीं था और उसका एकमात्र उपाय कब्जा सौंपने के बाद आदेश 21, नियम 99 के तहत एक आवेदन दायर करना था और किसी भी पहले के चरण में डिक्री के लिए किसी अजनबी द्वारा कब्जे के वितरण पर आपत्ति पर विचार करना समय से पहले था। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि न तो निष्पादन न्यायालय और न ही पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर निष्पादन के विरुद्ध अपीलार्थी की आपत्ति पर विचार किया था। नतीजतन, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय के साथ-साथ 1990 के सिविल निष्पादन मामले संख्या 25 में निष्पादन अदालत के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और कार्यवाही को मुन्सिफ द्वितीय, मुंगेर के न्यायालय में भेज दिया जाता है ताकि प्रत्यर्थी 1 डिक्री धारक के आवेदन को अपीलार्थी की बाधा को दूर करने के लिए आदेश 21, नियम 97 के तहत और डिक्री धारक के साथ-साथ अपीलार्थी को सुनने के बाद अपीलार्थी के दावे पर निर्णय लेने और आदेश 21, नियम 97, उप-नियम (2) सी. पी. सी. आदेश 21, नियम 98

सी. पी. सी. के तहत उचित आदेश पारित करने के लिए पुनः निर्णय लिया जा सके जैसा कि इसके पहले भाग में संकेत दिया गया था।'

12. इसी तरह, "श्रीनाथ और अन्न" में। बनाम राजेश और अन्य "(1998) 4

एस. सी. सी. 543 इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: '10. उपखंड (1) आदेश 21 नियम 35 के तहत, निष्पादन अदालत विवादित संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्जा डिक्री धारक को सौंप देती है और यदि आवश्यक हो, तो डिक्री से बंधे किसी भी व्यक्ति को हटा देती है जो उक्त संपत्ति को खाली करने से इनकार करता है। महत्वपूर्ण शब्द डिक्री से बंधे किसी भी व्यक्ति को हटाना नहीं है। आदेश 21 नियम 36 में अचल संपत्ति की कल्पना की गई है जब किसी किरायेदार या अन्य व्यक्ति के अधिभोग में जो डिक्री से बाध्य नहीं है, अदालत उक्त संपत्ति के किसी विशिष्ट स्थान पर वारंट की एक प्रति दर्ज करके और किसी सुविधाजनक स्थान पर ड्रम या अन्य प्रथागत तरीके से कब्जा करने वाले को संपत्ति के संबंध में डिक्री का सार घोषित करके कब्जा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, डिक्री-धारक को प्रतीकात्मक अधिकार मिलता है। आदेश 21 नियम 97 में "किसी भी व्यक्ति" द्वारा डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति के कब्जे के प्रतिरोध या बाधा की कल्पना की गई है। यह या तो डिक्री से बंधे व्यक्ति द्वारा हो सकता है, जो निर्णय-ऋणदाता के माध्यम से स्वामित्व का दावा करता है या अपने स्वयं के स्वतंत्र अधिकार का दावा करता है जिसमें एक किरायेदार भी शामिल है जो 611 में पक्षकार नहीं है।

एसएमटी। वेद कुमारी (मृत टीएचआर)। उनके कानूनी प्रतिनिधि) डॉ. विजय अग्रवाल बनाम एम. सी. डी. टी. एच. आर. यह आयोग है

[प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 612

सूट या कोई अजनबी भी। एक डिक्री धारक, ऐसे मामले में, संपत्ति के कब्जे के वितरण के लिए इस तरह के प्रतिरोध की शिकायत करते हुए निष्पादन अदालत में एक आवेदन कर सकता है। 1976 के प्रतिस्थापन के बाद उपखंड (2) निष्पादन अदालतों को अधिकार देता है जब ऐसा दावा किया जाता है कि वे इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदक के दावे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें। यह आदेश 21 नियम 101 (1976 अधिनियम द्वारा संशोधित) को संदर्भित करता है जिसके तहत आदेश 21 नियम 97 या नियम 99 के तहत पक्षों के बीच उत्पन्न संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्धारण अदालत द्वारा किया जाएगा, न कि एक अलग मुकदमे द्वारा। संशोधन द्वारा, किसी को नए मुकदमे के लिए नहीं जाना पड़ता है, बल्कि उस संपत्ति से संबंधित सभी मामलों के लिए जाना पड़ता है, भले ही किसी अजनबी द्वारा बाधा का निर्णय लिया जाता है और निष्पादन कार्यवाही में भी अनिवार्य रूप से दिया जाता है। हम समझते हैं कि उपखंड (1) के तहत "कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति का उपयोग जानबूझकर शक्ति के दायरे को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि निष्पादन अदालत आदेश 21 नियम 97 के तहत ऐसे किसी भी आवेदन में किए गए दावे पर निर्णय ले सके। इस प्रकार "कोई भी व्यक्ति" शब्दों के उपयोग से इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल

हैं जो कब्जे के वितरण का विरोध करते हैं, संपत्ति में अधिकार का दावा करते हैं, यहां तक कि वे भी जो डिक्री से बाध्य नहीं हैं, जिसमें किरायेदार या अन्य व्यक्ति जो अपने दम पर अधिकार का दावा करते हैं, जिसमें एक अजनबी भी शामिल है।'

13. "में समीर सिंह और अन्न। बनाम अब्दुल रब और अन्य (2015) 1 एस. सी. सी.

379, इस न्यायालय ने फिर से कहा कि निष्पादन न्यायालय के पास पक्षकारों के बीच उत्पन्न संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने का अधिकार है, जिसमें एक अजनबी का दावा भी शामिल है जो अचल संपत्ति से बेदखल होने की आशंका रखता है। यह कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए प्रदान किया गया है और यदि कोई अदालत यह कहते हुए निर्णय लेने से इनकार करती है कि उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है, तो वह अपने आप में निष्पादन न्यायालय की ओर से उसमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता का कारण बन जाएगा।

14. "जिनी धनराजगीर एंड अन्न" में सबसे हाल के फैसले में। बनाम शिवू

मैथ्यू एंड एन. आर. "(2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 643, कानूनी स्थिति को दोहराया गया है कि सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 97 से 103 दोनों पक्षों को एक मुकदमे के साथ-साथ निष्पादन के लिए रखी गई डिक्री के लिए एक अजनबी को एकमात्र उपाय प्रदान करते हैं।

15. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तय की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निष्पादक न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह मुकदमे के संदर्भ में डिक्री-धारक को मुकदमे की भूमि की भौतिक डिलीवरी के लिए कब्जे का वारंट जारी करे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अनुसूची संपत्ति और यदि डिक्री के लिए किसी भी अजनबी द्वारा कोई प्रतिरोध किया जाता है, तो उस पर सी. पी. सी. के आदेश XXI के नियम 97 से 101 के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। निष्पादन न्यायालय डिक्री को केवल इस आधार पर अक्षम्य मानते हुए निष्पादन याचिका को खारिज नहीं कर सकता था कि डिक्री धारक ने किसी तीसरे पक्ष/अतिक्रमणकारी से अपना अधिकार खो दिया है। यदि ऐसा होने दिया जाता है, तो प्रत्येक निर्णय-देनदार जो डिक्री पारित होने तक अचल संपत्ति के कब्जे में है, डिक्री धारक के अधिकार और मुकदमेबाजी के फल का आनंद लेने की पात्रता को विफल करने के लिए किसी तीसरे पक्ष को कब्जा सौंप देगा और यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है और अचल संपत्ति के लिए कोई डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है।

16. परिणामस्वरूप, अपील सफल होती हैं और उन्हें अनुमति दी जाती है। तदनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः 2012 के सी. आर. पी. सं. 152 और 2016 के आर. पी. सं. 487 में पारित 'आई. डी. 3' और 'आई. डी. 1' दिनांकित निर्णय और आदेश और 'आई. डी. 2' दिनांकित 'निष्पादन न्यायालय' के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और निष्पादन न्यायालय को आदेश 21 सी. पी. सी. में निहित प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी/डिक्री-धारक को भौतिक रूप से खाली कब्जे की सुपुर्दगी करके डिक्री को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन